फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

1. आसाराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

बनाम

1. सरस्वती पत्नी श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी स्वरूपदेसर तहसील बीकानेर वगैरह।

अपील संख्या–59 / 2011

GCMS No. 2011 / 00068

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। यह अपील राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–76 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 10.06.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार बिन्दु पर बहस हेतु विचाराधीन है। अभिभाषकगण की क्षेत्राधिकार बिन्दु पर बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2011 पारित करते हुए अपीलाधीन अपील को इस आशय के साथ खारिज कर दिया कि अपीलांट अपनी अपील जिलाधीश न्यायालय में प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय में अपील तहसीलदार राजस्व नोखा के द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 55 दिनांक 30.08.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई, जिसे उपखण्ड अधिकारी नोखा ने सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज कर दिया। हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील को क्षेत्राधिकार से बाहर बताकर सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के लिये आदेशित किया। तहसीलदार द्वारा दर्ज विरासतन इंतकाल के विरूद्ध प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार जिलाधीश न्यायालय को है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः उपखण्ड अधिकारी नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील को क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (वन्दना सिंघवी) संभागीय आयुक्त, बीकानेर	